पत्रांकः— 3296 / 2021 दिनांक :—02 / 07 / 21

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में प्रतिनियुक्ति के लिए निगम द्वारा विज्ञापित सूचना (ज्ञापांक संख्या—364 / 21 दिनांक—28.06.21) के संदर्भ में FAQ (Frequently Asked Questions) का उत्तर

1. **प्रश्न— इस फार्म के माध्यम से किसे आवेदन देना है?**

   उत्तर— विज्ञापित सूचना अथवा बेल्ट्रॉन द्वारा e-mail पर भेजी गई सूचना में निहित घोषणा पत्र वैसे अभ्यर्थी दे सकते है जो बेल्ट्रॉन के DEO हेतु तैयार पैनल में पहले से शामिल है तथा जिनके द्वारा KYC प्रकिया पूर्ण कर ली गई है एवं जिनकी प्रतिनियुक्ति अभी तक नही हुई है तथा जो राजस्व विभागीय शर्तों से सहमत हैं।

2. **प्रश्न— राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (LRC) द्वारा ली जाने वाली परीक्षा का क्या अर्थ है?**

   उत्तर— समर्पित घोषणा पत्र समर्पित करने वाले योग्य अभ्यर्थियों को बेल्ट्रॉन के पैनल से आरक्षण नियमावली तथा वरीयता के क्रम में चयन कर नियमानुसार सूची विभाग को भेजी जाएगी। विभाग द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों को विभाग में लिये जाने वाले कार्यों से संबंधित प्रशिक्षण दिया जायेगा। तत्पश्चात् विभाग द्वारा दिये गये प्रशिक्षण पर आधारित परीक्षा ली जायगी एवं वर्णित शर्त्तों पर विभाग द्वारा अंतिम रूप से अभ्यर्थियों को प्रतिनियुक्त किया जायेगा।

3. **प्रश्न— विभाग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में फेल होने पर क्या होगा?**

   उत्तर— विभाग द्वारा प्रशिक्षण उपरान्त परीक्षा में अभ्यर्थी के अनुतीर्ण होने पर भी बेल्ट्रॉन के पैनल में उनका दावा बरकरार रहेगा एवं DEO के वरीयता सूची के अनुसार आगे उनकी प्रतिनियुक्ति ERP के माध्यम से की जाएगी।

4. **प्रश्न— अभी 3700+ पदों के स्थान पर केवल 534 पदों पर हीं नियुक्ति का प्रावधान क्यों है?**

   उत्तर— राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा वर्तमान समय में पहले चरण के लिए 534 पदों के लिए ही बेल्ट्रॉन को अधियाचना प्राप्त हुई है। उचित रूप से प्रतिनियुक्ति संपन्न होने पर शेष पदों को भरने की प्रक्रिया आगे होनी है।

5. **प्रश्न— Service Plus आदि के वजह से KYC नहीं होने वाले अभ्यर्थियों का क्या होना है?**

   उत्तर— वैसे अभ्यर्थी जिनकी KYC प्रकिया पूर्ण नहीं हुई है, वैसे अभ्यर्थी उक्त नियोजन हेतु घोषणा—पत्र समर्पित करने के पात्र नही होंगे।

6. **प्रश्न— गृह जिला (Home District) एवं अथ्यर्थियों द्वारा पहले दिये गये Choice जिला का क्या अर्थ है?**

   उत्तर— राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ है कि किसी भी अभ्यर्थी को गृह जिला में प्रतिनियुक्ति नहीं की जायगी। केवल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में प्रतिनियुक्ति हेतु इच्छुक अभ्यर्थी गृह जिला में प्रतिनियुक्त नहीं किये जाऐंगे। अन्य विभाग से अधियाचना प्राप्त होने पर अन्य अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में दिये गये choice के जिलों के आधार पर ERP प्रणाली के माध्यम से वे विभिन्न जिलों में प्रतिनियुक्त किये जा सकेंगे।

7. **प्रश्न— जिसे बेल्ट्रॉन द्वारा ई—मेल जा रहा है क्या केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को फार्म भरना है?**

   उत्तर— नहीं। उपर वर्णित सभी योग्य अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापित सूचना के विरूद्ध बेल्ट्रॉन के प्रसारित e-mail पर उनकी इच्छानुसार घोषणा पत्र उपलब्ध कराया जा सकता है। निगम द्वारा विज्ञापित सूचना के अतिरिक्त e-mail द्वारा भी अभ्यर्थियों को वही सूचना प्रेषित की जा रही है। अपने पंजीकृत ई—मेल से हीं beltrondeployment@gmail.com पर घोषणा पत्र भेजी जानी है।

8- प्रश्न— क्या वर्णित घोषणा—पत्र में Employee ID के स्थान पर Candidate ID लिखा जा सकता है ?

उत्तर— नहीं। सभी घोषणा पत्र में Employee ID एवं रजिस्ट्रेशन नम्बर अनिवार्य रूप से दिया जाना है।

2/7/21

(विजय कुमार सिन्हा)
प्रभारी (मानव संसाधन)